

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 329/2026
अनवान : -

1. राजेन्द्र सिंह पुत्र दर्शन सिंह जाति जट सिख निवासी राठीखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ राजस्थान।

- वादी

बनाम्

1. दर्शन सिंह पुत्र किंकरसिंह जाति जट सिख निवासी राठीखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ राजस्थान।
2. बलजिन्द्र सिंह पुत्र दर्शन सिंह जाति जट सिख निवासी राठीखेन तहसील टिब्बी।
3. सुखमन्द्र कौर पुत्री दर्शन सिंह जाति जट सिख निवासी राठीखेड़ा तहसील टिब्बी।
4. प्रेम कौर पुत्री दर्शन सिंह जाति जट सिख निवासी राठीखेड़ा तहसील टिब्बी।
5. सुखजिन्द्र कौर पुत्री दर्शन सिंह जाति जट सिख निवासी राठीखेड़ा तहसील टिब्बी।
6. बलविन्द्र कौर पुत्री दर्शन सिंह जाति जट सिख निवासी राठीखेड़ा तहसील टिब्बी।
7. बलजीत कौर पत्नि भुपसिंह जाति जट सिख निवासी राठीखेड़ा तहसील टिब्बी।
8. रणजीत सिंह पुत्र भुपसिंह जाति जट सिख निवासी राठीखेड़ा तहसील टिब्बी।
9. सिमरन कौर पुत्री भुपसिंह जाति जट सिख निवासी राठीखेड़ा तहसील टिब्बी।
10. मुखदीप कौर पुत्री भुपसिंह जाति जट सिख निवासी राठीखेड़ा तहसील टिब्बी।
11. गगनदीप कौर पुत्री भुपसिंह जाति जट सिख निवासी राठीखेड़ा तहसील टिब्बी।
12. अमनदीपकौर पुत्री भुपसिंह जाति जट सिख निवासी राठीखेड़ा तहसील टिब्बी।
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर जिला हनुमानढ।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89 ,राजस्थान काश्त0
अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 01/06/2026

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा रोही मौजा भंगुली पटवार हल्का भंगुली तहसील नोहर के जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 33/33 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 10.7870 है०, भुमि में से 676/10787 हिस्सा भूमि दर्शनसिंह पुत्र किंकरसिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भुमि वादी व प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भुमि जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है तथा दर्शनसिंह पुत्र किंकरसिंह के कुल 7 वारीस हुवे। राजेन्द्रसिंह, बलजिन्द्रसिंह, सुखमन्द्रकौर प्रेमकौर सुखजिन्द्रकौर बलजिन्द्र गुपसिंह (फौत) हो चुका है। जिनके वारीस कुल 6 हुवे। रणजीतसिंह, बलजीत कौर (पत्नि) मुखदीपकौर, सिमरनकौर, गगनदीपकौर, अमनदीपकौर, है। प्रतिवादी संख्या 1 वादी का पिता है जो कि उपरोक्त भुमि कोई हक हिस्सा नहीं रखना चाहता है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 वादी की बहने है वादी व प्रतिवादी संख्या 2

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

व 7 ता 8 के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा प्रतिवादी संख्या 9 ता 12 ने प्रतिवादी संख्या 7 ता 8 के पक्ष में परित्याग कर दिया है। उपरोक्त भूमि पर वादी व प्रतिवादीगण ही काबिज है अतः रोही मौजा भंगुली पटवार हल्का भंगुली तहसील नोहर के जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 33/33 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 10.7870 है, भूमि में से 676/10787 हिस्सा भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 दर्शनसिंह पुत्र किंकरसिंह का नाम कलमजन कर वादी राजेन्द्रसिंह व प्रतिवादी संख्या 2 प्रत्येक को 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 7 ता 8 को 1/3 हिस्सा में से ब० हि ब० खातेदार दर्ज किया जावे। वादी जिसकी न्यायालय से घोषण करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं० 1 लगायत 12 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 12 को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 13 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी व पुरानी जमाबंदी आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उपरोक्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है तथा दर्शनसिंह पुत्र किंकरसिंह के कुल 7 वारीस हुवे। राजेन्द्रसिंह, बलजिन्द्रसिंह, सुखमन्द्रकौर प्रेमकौर सुखजिन्द्रकौर बलजिन्द्र गुपसिंह (फौत) हो चुका है। जिनके वारीस कुल 6 हुवे। रणजीतसिंह, बलजीत कौर (पत्नि) मुखदीपकौर, सिमरनकौर, गगनदीपकौर, अमनदीपकौर, है। प्रतिवादी संख्या 1 वादी का पिता है जो कि उपरोक्त भूमि कोई हक हिस्सा नहीं रखना चाहता है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 वादी की बहने है वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 7 ता 8 के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा प्रतिवादी संख्या 9 ता 12 ने प्रतिवादी संख्या 7 ता 8 के पक्ष में परित्याग कर दिया है। उपरोक्त भूमि पर वादी व प्रतिवादीगण ही काबिज है अतः रोही मौजा भंगुली पटवार हल्का भंगुली तहसील नोहर के जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खाता

Zahul
उपस्थित अधिकारी
नोहर

संख्या 33/33 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 10.7870 है०, भूमि में से 676/10787 हिस्सा भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 दर्शनसिंह पुत्र किंकरसिंह का नाम कलमजन कर वादी राजेन्द्रसिंह व प्रतिवादी संख्या 2 प्रत्येक को 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 7 ता 8 को 1/3 हिस्सा में से ब० हि ब० खातेदार दर्ज किया जावे। वादी जिसकी न्यायालय से घोषण करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा रोही मौजा भंगुली पटवार हल्का भंगुली तहसील नोहर के जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 33/33 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 10.7870 है०, भूमि में से 676/10787 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स० 1 दर्शनसिंह पुत्र किंकरसिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि उपरोक्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है तथा दर्शनसिंह पुत्र किंकरसिंह के कुल 7 वारीस हुवे। राजेन्द्रसिंह, बलजिन्द्रसिंह, सुखमन्द्रकौर प्रेमकौर सुखजिन्द्रकौर बलजिन्द्र गुपसिंह (फौत) हो चुका है। जिनके वारीस कुल 6 हुवे। रणजीतसिंह, बलजीत कौर (पत्नि) मुखदीपकौर, सिमरनकौर, गगनदीपकौर, अमनदीपकौर, है। प्रतिवादी संख्या 1 वादी का पिता है जो कि उपरोक्त भूमि कोई हक हिस्सा नहीं रखना चाहता है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 वादी की बहने है वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 7 ता 8 के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा प्रतिवादी संख्या 9 ता 12 ने प्रतिवादी संख्या 7 ता 8 के पक्ष में परित्याग कर दिया है। उपरोक्त भूमि पर वादी व प्रतिवादीगण ही काबिज है अतः रोही मौजा भंगुली पटवार हल्का भंगुली तहसील नोहर के जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 33/33 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 10.7870 है०, भूमि में से 676/10787 हिस्सा भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 दर्शनसिंह पुत्र किंकरसिंह का नाम कलमजन कर वादी राजेन्द्रसिंह व प्रतिवादी संख्या 2 प्रत्येक को 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 7 ता 8 को 1/3 हिस्सा में से ब० हि ब० खातेदार दर्ज किया जावे। वादी जिसकी न्यायालय से घोषण करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 को कोई ऐतराज नहीं है। वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स० 1 के अन्य कोई वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य हैं।

Lalul.
उपसंखंड अधिकारी
बोहर

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भंगुली पटवार हल्का भंगुली तहसील नोहर के जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 33/33 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 10.7870 है०, भूमि में से 676/10787 हिस्सा भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 दर्शनसिंह पुत्र किंकरसिंह का नाम कलमजन कर वादी राजेन्द्रसिंह व प्रतिवादी संख्या 2 प्रत्येक को 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 7 ता 8 को 1/3 हिस्सा भूमि के ब० हि ब० के खातेदार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 01/06/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul.
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 329/2026

अनवान : -

1. राजेन्द्र सिंह पुत्र दर्शन सिंह जाति जट सिख निवासी राठीखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ राजस्थान।

- वादी

बनाम्

1. दर्शन सिंह पुत्र किंकरसिंह जाति जट सिख निवासी राठीखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ राजस्थान।
2. बलजिन्द्र सिंह पुत्र दर्शन सिंह जाति जट सिख निवासी राठीखेन तहसील टिब्बी।
3. सुखमन्द्र कौर पुत्री दर्शन सिंह जाति जट सिख निवासी राठीखेड़ा तहसील टिब्बी।
4. प्रेम कौर पुत्री दर्शन सिंह जाति जट सिख निवासी राठीखेड़ा तहसील टिब्बी।
5. सुखजिन्द्र कौर पुत्री दर्शन सिंह जाति जट सिख निवासी राठीखेड़ा तहसील टिब्बी।
6. बलविन्द्र कौर पुत्री दर्शन सिंह जाति जट सिख निवासी राठीखेड़ा तहसील टिब्बी।
7. बलजीत कौर पत्नि भुपसिंह जाति जट सिख निवासी राठीखेड़ा तहसील टिब्बी।
8. रणजीत सिंह पुत्र भुपसिंह जाति जट सिख निवासी राठीखेड़ा तहसील टिब्बी।
9. सिमरन कौर पुत्री भुपसिंह जाति जट सिख निवासी राठीखेड़ा तहसील टिब्बी।
10. मुखदीप कौर पुत्री भुपसिंह जाति जट सिख निवासी राठीखेड़ा तहसील टिब्बी।
11. गगनदीप कौर पुत्री भुपसिंह जाति जट सिख निवासी राठीखेड़ा तहसील टिब्बी।
12. अमनदीपकौर पुत्री भुपसिंह जाति जट सिख निवासी राठीखेड़ा तहसील टिब्बी।
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर जिला हनुमानढ।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 329 सन 2026 निर्णय दिनांक 01/06/2026

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज परोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भंगुली पटवार हल्का भंगुली तहसील नोहर के जमाबंदी संम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 33/33 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 10.7870 है, भूमि में से 676/10787 हिस्सा भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 दर्शनसिंह पुत्र किंकरसिंह का नाम कलमजन कर वादी राजेन्द्रसिंह व प्रतिवादी संख्या 2 प्रत्येक को 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 7 ता 8 को 1/3 हिस्सा भूमि के ब० हि ब० के खातेदार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 01/06/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Lahul
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर